

फार्म

वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो.....
 (3) वर्तमान वेतन.....

(2) धारित पद.....
 (4) अगले वेतन वृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप सभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक विरासत में, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
01	02	03	04	05	06	07	08	

1.- जहाँ लागू न हो काट दीजिए :

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

हस्ताक्षर.....
 नाम.....

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है

पद.....

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के नियम-19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के

दिनांक:

प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.